न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/173 (प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 21.10.2024**

उनवान

1– कूकाबाई पत्नी स्व. बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
2– दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
3– बादामबाई पत्नी स्व. राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
4– राजू पुत्र राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
5– सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
6– सांवरिया पुत्र राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
7– अजंल नागर पुत्र विनोद शंकर नागर जाति ब्राहमण निवासी मंगलपुरा झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0
8– तनवीर आलम पुत्र निशांत आलम जाति मुसलमान निवासी मंगलपुरा झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0
9– विजय प्रतापसिंह पुत्र विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी सिघांनिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 .....अपीलान्टस्

बनाम

1– जतनकुंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी सिघांनिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0
2– कृष्णा पुत्री राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
3– टीना पुत्री बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
4– ममता पुत्री बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0
5– शीला पुत्री राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
6– सन्जू पुत्री बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
7– रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी सिंघानिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0
8– कजोड़ीबाई पत्नी बापूलाल जाति बंजारा निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9– शांतिबाई पत्नी मदनलाल जाति बंजारा निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0

10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड राज0

...रेस्पोडेंटगण

अपील संख्या 2024/174 (फाइनल डिक्री) **दायरा दिनांक : 21.10.2024**

उनवान

1– कूकाबाई पत्नी स्व. बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

2– दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

3– बादामबाई पत्नी स्व. राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

4– राजू पुत्र राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

5– सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

6– सांवरिया पुत्र राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

7– अजंल नागर पुत्र विनोद शंकर नागर जाति ब्राहमण निवासी मंगलपुरा झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0

8– तनवीर आलम पुत्र निशांत आलम जाति मुसलमान निवासी मंगलपुरा झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0

9– विजय प्रतापसिंह पुत्र विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी सिधानिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 .....अपीलान्टस्

बनाम

1– जतनकुंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी सिघानिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0

2– कृष्णा पुत्री राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

3– टीना पुत्री बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

4– ममता पुत्री बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0

5– शीला पुत्री राधेश्याम जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज़0

6– सन्जू पुत्री बाबूलाल जाति खाती निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

7– रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी सिंघानिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8– कजोड़ीबाई पत्नी बापूलाल जाति बंजारा निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

9– शांतिबाई पत्नी मदनलाल जाति बंजारा निवासी लुहारिया देह तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0

10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड राज0

...रेस्पोडेंटगण

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रवि मिश्रा अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 24.06.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 964/दावा/2022 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 26.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सिंघानिया तहसील झालरापाटन की जमाबंदी 2074–2077 खाता संख्या नया 209 पुराना 194 की कुल किता 3 कुल रकबा 0.7334 हैक्टर, जिसमें वादी का 2/7 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार जमाबंदी 2074–2077 खाता संख्या नया 210 पुराना 194 की खसरा नं. 428 रकबा 0.6323 हैक्टर, जिसमें वादी का 2/7 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 26.06.2024 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

2024/173 (प्राथमिक डिक्री) में अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पाडेन्ट नं. 1 ने अपीलान्टस् एवं अन्य रेस्पोडेन्टस् के खिलाफ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के यहा ग्राम सिंघानिया तहसील झालरापाटन की जमाबन्दी सं. 2074–2077 के खाता संख्या नया 209 की आराजी खसरा नम्बर 426, 427, 432 कुल रकबा 0.7334 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 210 की खसरा नम्बर 428 रकबा 0.6323 हैक्टेयर में अपने हिस्से के बंटवारा बाबत दिनांक 15.09.2022 को दावा पेश किया, जिसमे प्रतिवादीगण (अपीलान्ट) की प्रोपर तलबी नही हुयी एवं दिनांक 07.02.2023 को अपीलान्टस् के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 12.02.2024 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। मातहत न्यायालय ने बिना अपीलान्टस् को सुने निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में अपीलान्टस् को प्रोपर तामिल भी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नही हुयी उसके बाद भी एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 12.02.2024 को ही निर्णय पारित कर दिया तथा प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

दिनांक 12.02.2024 को निर्णय हो जाने के उपरान्त पत्रावली बंटवारा स्कीम में तारीख पेशी नियत थी दिनांक 26.06.2024 को ही विभाजन स्कीम पेश हो गयी, तथा दिनांक 26.06.2024 को फाईनल डिक्री जारी कर दी गयी, जबकि विभाजन स्कीम में अपीलान्टस् नम्बर 7, 8, 9 के नाम उक्त आराजी में आ चुके थे उसके बाद भी अपीलान्टस् नम्बर 7, 8, 9 को पक्षकार नही बनाया और फाईनल डिक्री जारी कर दी यह पूरी प्रक्रिया सोची समझी साज के तहत की गयी है, जो काबिल गौर है। अतः अपील पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे एवं मातहत न्यायालय को अपीलान्टस् का जवाबदावा, साक्ष्य ली जाकर विधिवत निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2024/174 (फाइनल डिक्री) में अपीलांट ने कथन किया कि मातहत न्यायालय ने विभाजन स्कीम पर फरिकेन को नही सुना बिना अपीलान्टस् को सुने बटवारा प्रस्ताव दिनांक 26.06.2024 को पेश करना बताकर दिनांक 26.06.2024 को ही फाईनल डिक्री पारित कर दी। पटवारी हल्का ने विभाजन स्कीम बनाते समय भी अपीलान्टस् को सूचित नही किया अपीलान्टस् की गैर मौजूदगी में स्कीम बनाकर न्यायालय में पेश की हैं। पटवारी हल्का ने विभाजन स्कीम दो बनायी है एक विभाजन स्कीम कब्जे के अनुसार बनायी है तथा दूसरी विभाजन स्कीम रेकार्ड के अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर में से हिस्से के अनुसार बनायी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय रेकार्ड के अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर में से हिस्से के अनुसार फाईनल डिक्री जारी की है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिक्री अपास्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.05.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 ने 53 का दावा किया। बंटवारा प्रस्ताव दो प्रकार भेजे गये। पहला कब्जे के आधार पर दूसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादिया की पसंद के अनुसार। वादिया की पसंद के अनुसार दिनांक 26.06.2024 को प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट ने ही जतन कंवर को आराजी का बेचान किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट को प्रोपर रूप से तलवी हुई है। प्राथमिक डिक्री की सूचना अपीलांट को थी फिर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं विधिसम्मत है जिसकी पालना में हमे कब्जा दिया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत दोनों अपीले समान प्रकृति की होने एवं समान पक्षकारों के मध्य विचाराधीन होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम सिंघानिया तहसील झालरापाटन की विवादित आराजी खाता संख्या नयी 209 खसरा नं. 426, 427, 432 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7334 हैक्टर एवं खाता संख्या नयी 210 खसरा नं. 428 रकबा 0.6323 हैक्टर आराजी में निहित अपने 2/7 हिस्से के विभाजन हेतु दिनांक 13.09.2022 को वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनाकं 15.09.2022 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.02.2023 को प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.04.2023 को साक्ष्य वादी में वादिया द्वारा अपना शपथपत्र पेश किया गया तत्पश्चात दिनांक 12.02.2024 को वकील वादी की एकतरफा बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री कर विवादित आराजी में से वादिया का 2/7 हिस्सा पृथक खाते दर्ज करने एवं बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 की पालना में पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार झालरापाटन को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने अपने पत्र दिनांक 05.06.2024 से बंटवारा प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झालावाड को प्रेषित किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.06.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील हेतु सीपीसी के आदेश –5 में निहित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। प्रतिवादी 1 लगायत 15 मे से किसी भी प्रतिवादी पर सम्मन की व्यक्तिगत तामील होना नहीं पाया गया तथा व्यक्तिगत तामील नहीं होने के कारण भी तामील कुनिंदा की रिपोर्ट में अंकित नहीं है ना ही तामील की दिनांक व समय का अंकन किया गया है। व्यक्तिगत तामील के अभाव मे जिस व्यक्ति पर सम्मन की तामील की गयी उसकी पहचान करने वाले पहचानकर्ता का नाम, पता भी तामील रिपोर्ट पर अंकित नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 व 7 लगायत 13 के सम्मन की तामील पर गिरिराज के हस्ताक्षर अंकित है एवं प्रतिवादीगण 14 व 15 के सम्मन पर बापूलाल के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मनों की तामील मे सीपीसी के आदेश 5 की प्रकिया एवं विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण प्रतिवादीगण न्यायालय में अपना पक्ष रखने से वंचित रह गये। अतः सम्मन तामील हेतु सीपीसी के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री को विधिक रूप से खारिज करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें, अपील संख्या 2024/173 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं अपील संख्या 2024/174 विरूद्ध फाइनल डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 एवं फाइनल डिक्री दिनांक 26.06.2024 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का असवर प्रदान करते हुए, तनकीयात कायम कर, तनकीवार विश्लेषण करते हुए पुनः नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा